



Neutral Citation No. 2026:AHC:127444

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19941 वर्ष 2026**

नसरुद्दीन उर्फ सोनू

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(यों)

---

|                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| आवेदक(कों) के अधिवक्ता  | : | मोहम्मद नासिर   |
| विपक्षी(यों)के अधिवक्ता | : | शासकीय अधिवक्ता |

---

**न्यायालय संख्या - 45**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मामला अपराध संख्या 102 वर्ष 2026, धारा 8/20 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत, थाना शाहपुर जिला मुजफ्फर नगर में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक के कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री की मात्रा 1.078 किलोग्राम चरस है, जो व्यावसायिक मात्रा से थोड़ी अधिक बताई जा रही है। तर्क यह है कि अपराध की गंभीरता को जोड़ने के लिए पुलिस ने जानबूझकर मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता पर सवाल उठाते हुए अन्य प्रस्तुतियाँ भी दिए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के वैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः और भावना से पालन नहीं किया गया है, और इसलिए, कथित बरामदगी की कानूनी वैधता दूषित हो जाती है। अधिवक्ता ने आवेदक को झूठा फंसाए जाने के संकेत देने वाली परिस्थितियों को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आरोपी की ओर से दिए गए तर्कों के दौरान अभियोजन के पीछे दुर्भावना का भी आरोप लगाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि आवेदक 25.04.2026 से जेल में है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया गया कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा विरोधी प्रस्तुतियाँ, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला सिद्ध कर दिया है।

6. अतः, जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

7. उपरोक्त मामला अपराध में शामिल आवेदक- **नसुरुद्दीन उर्फ सोनू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा / खुला रहेगा।

(ii)। आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता / 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकता है।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



(iii)। यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता / 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता / 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv)। आवेदक को (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण जज को गवाहों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16 जून, 2026

राधिका

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*